वाणिज्य–जोधपुर डिस्कॉम/405

जोधपुर विद्युत
[redacted] **वितरण निगम** [redacted]
लिमिटेड

क्रमांक : जो.वि.वि.नि.लि./अ.प्र.नि./मु.अ.(सी–पी)/अ.अ.(आर.ए.वा.)/फा /प्रे. 1112 दि. 04/08/20

परिपत्र

विषय : 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति वाले गॉवों में घरेलू एवं कृषि कनेक्शनों की विद्युत दर के सम्बंध में।

पूर्व में वाणिज्य/जोधपुर डिस्कॉम 269 दिनांक 07.05.2005 द्वारा 5000 से अधिक आबादी वाले गावों में घरेलू एवं कृषि कनेक्शनों की विद्युत दर के सम्बंध में परिपत्र जारी किया गया था।

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू उपभोक्ताओं के लिये सिंगल फेस ट्रांसफार्मर लगा कर 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है। इस क्रम में वाणिज्य/जोधपुर डिस्कॉम 269 दिनांक 07.05.2005 में आंशिक परिवर्तन करते हुये सभी अधिकारीयों को निर्देशित किया जाता है कि ऐसे सभी गॉवों में जहां शहरी क्षेत्रों की तरह रात दिन विद्युत प्रदाय की जा रही है, वहॉ घरेलू कनेक्शनों के ऊर्जा प्रभार में 10 प्रतिशत की छूट देय नहीं होगी।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगें।

आज्ञा से

(ए.एम. लोढ़ा)
मुख्य अभियन्ता (सी. एण्ड पी.)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर